उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 26/2024/1803/छप्पन-2023-77/2011
लखनऊ, दिनांक: 23 फरवरी, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-71/छप्पन-2011-20/2010, दिनांक 25 फरवरी, 2011 द्वारा श्री एस0के0 गिरि को पायलट (रोटर विंग) के पद पर नियत मासिक पारिश्रमिक रू0 1,80,000/-(रूपए एक लाख अस्सी हजार मात्र) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में श्री गिरि द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2011 के पूर्वाह्न में अपना कार्यभार ग्रहण किया गया था, जिसकी अवधि दिनांक 29 फरवरी, 2016 को समाप्त हो गई थी। तदुपरान्त वर्षानुवर्ष इनकी संविदा अवधि बढ़ायी गई है। अंतिम बार कार्यालय-ज्ञाप संख्या-102/2020/2159/छप्पन-2020-77/2011, दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 द्वारा श्री गिरि की संविदा अवधि दिनांक 01 मार्च, 2021 से अग्रेतर 03 वर्ष के लिए बढ़ाई गयी थी, जो दिनांक 28 फरवरी, 2024 को समाप्त हो रही है।

2- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-274/ना0उ0नि0/व्य0पत्रा0/2023 दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त पायलट (रोटर विंग) के पद पर कार्यरत श्री एस0के0 गिरि की संविदा सेवा अवधि को वर्तमान मासिक पारिश्रमिक रू0 6,64,855/- एवं शासनादेश संख्या-1422/छप्पन-2014-17/2014 दिनांक 09 सितम्बर, 2014 के अनुसार अनुमन्य 05 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि पर दिनांक 29 फरवरी, 2024 से 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक अर्थात 30 अप्रैल, 2028 तक बढ़ाए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- श्री एस0के0 गिरि की संविदा सेवा के सम्बन्ध में अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत जारी रहेंगी।

4- श्री एस0के0 गिरि से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर पुनः अनुबन्ध-पत्र निष्पादित करके उसकी एक प्रति निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा शासन को उपलब्ध कराई जाएगी।

कुमार हर्ष
विशेष सचिव।

विंग कमां0 एस0के0 गिरि,
पायलट (रोटर विंग),
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 26/2024/1803(1)/छप्पन-2023-77/2011-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे श्री एस0 के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग) से निर्धारित प्रपत्र पर पुनः अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराके उसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज ।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।